

प्रारूप-1
प्रमाण-पत्र/अभिलेखों की स्कूटनी, संबंधी प्रोफार्मा
(चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु)

भाग-अ (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने मध्य प्रदेश चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018, संशोधन 19 जून 2019 संशोधन 05 अक्टूबर 2021, संशोधन 26 जुलाई 2022, संशोधन नियम 10 मई 2023, संशोधन 02 जुलाई 2024 तथा 3 सितम्बर 2025 को भलीभांति पढ़ तथा समझ लिया है। मुझे म0प्र0 राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम की जानकारी है। तत्पश्चात ही नियमों एवं दिये गये उपबंधों के अधीन काउंसिलिंग में भाग ले रहा/रही हूँ।

मैं आवंटन के अनुक्रम में प्रवेश हेतु मूल प्रमाणपत्र/ अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

- 1/ **NEET PG (MD/MS) 2025** परीक्षा का रोल नंबर
- 2/ आल इण्डिया मेरिट रैंक क्रमांक
- 3/ पूरा नाम:
- 4/ माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम एवं पता
- 5/ श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/.....
अन्य पिछड़ा वर्ग,आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) ।
- 6/ प्रवर्ग- दिव्यांग :
- 7- कोटा- ओपन/अनिवासी भारतीय कोटा (NRI)/सेवारत
- 8/ अभ्यर्थी का मोबाईल फोन नं. एवं ई-मेल आई.डी.

मूल प्रमाण पत्र/अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सामने सही (✓) का चिन्ह लगायें

1. नीट एम0डी0/एम0एस0 2025 चयन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के पंजीयन की फोटो युक्त प्रति अथवा प्रवेश पत्र। ☐
2. अनिवार्य इन्टर्नशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट की मूल प्रति । ☐
3. एमबीबीएस परीक्षाओं के अंतिम प्रोफ की अंकसूची।
4. मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में स्थाई पंजीयन (Permanent registration) के प्रमाण पत्र अथवा पंजीयन हेतु आवेदन की पावती। ☐
5. अभ्यर्थी की फोटो आई0डी0 प्रूफ ड्राईविंग लाईसेंस/आधार/वोटर कार्ड/ पेन कार्ड/ पासपोर्ट की फोटो कॉपी। ☐
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जारी किया गया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र (EWS) (यदि लागू हो)। ☐
7. मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)। ☐

8. मध्य प्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश राज्य में आरक्षित श्रेणी का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)। ☐
9. मध्य प्रदेश राज्य के तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र (अन्य पिछडा वर्ग अभ्यर्थियों के क्रीमी/नॉनक्रीमी लेयर के निर्धारण हेतु) (यदि लागू हो)। ☐
10. दिव्यांग प्रवर्ग हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं केन्द्र सरकार के विनिर्दिष्ट दिव्यांगता केन्द्र से जारी किया गया दिव्यांगता का प्रमाण पत्र। ☐
11. अनिवासी भारतीय कोटे से सीट आवंटित होने की दशा में प्रोफार्मा 3,4,5 के अनुसार दिया जाने वाला शपथपत्र। ☐
☐
12. सीट लिविंग बॉण्ड प्रोफार्मा-2 (क)। ☐
13. ग्रामीण सेवा बंध पत्र प्रोफार्मा-2(ख)। ☐
☐
14. मध्य प्रदेश के अन्यत्र किसी राज्य से मूल निवासी (स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र) का लाभ प्राप्त नहीं करने संबंधी शपथ पत्र एवं किसी अन्य राज्य से मूल निवासी का लाभ नहीं लिये जाने संबंधी शपथपत्र प्रोफार्मा-6। ☐
15. स्टाईपेंड एवं अनुशासन संबंधी वचन पत्र प्रोफार्मा-7। ☐
☐

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम तथा पता

प्रमाण-पत्र/अभिलेखों की स्कूटनी, संबंधी प्रोफार्मा

भाग-ब (स्कूटनी (छानबीन) समिति द्वारा भरा जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि स्कूटनी के समय उपस्थित अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर का एन.बी.ई. नई दिल्ली द्वारा प्रेषित **NEET MD/MS 2025** में सम्मिलित परीक्षार्थियों के फोटो एवं हस्ताक्षर डाटा से मिलान करने के बाद सही पाया गया है अथवा भिन्नता पाई गई है ।

भिन्नता की स्थिति में टिप्पणी —.....

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की जांच की गई तथा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियों के दो सेट रिकार्ड हेतु जमा कर लिये गये हैं, एवं जमा किये गये मूल दस्तावेजों का अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र अभ्यर्थी को प्रदान किया गया ।

सत्यापन के पश्चात्, अभ्यर्थी आवंटित सीट पर प्रवेश के लिये पात्र है

अथवा

निम्न अभिलेख/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण/या अन्य कारणों से आवंटित सीट पर प्रवेश के लिये अपात्र हैं :-

- 1.....
- 2.....
- 3.....

स्कूटनी/प्रवेश समिति के अध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय दिनांक, नाम,
पदनाम

स्कूटनी समिति के सदस्य के
हस्ताक्षर मय दिनांक, नाम, पदनाम

स्कूटनी समिति के सदस्य के
हस्ताक्षर मय दिनांक, नाम,
पदनाम